

कांडा० 14012/11/87-रा०भा०(ग), दिनांक 1 जुलाई, 1988

विषय: केंद्रीय सरकार की सेवाओं में अथवा पदों पर पदोन्नति के लिए लो जाने वाली विभागीय परीक्षाओं में प्रश्न पत्रों के उत्तर हिंदी में देने का विकल्प-संबंधित पुस्तकों का अनुवाद।

उपर्युक्त विषय पर इस विभाग के 21 सितम्बर, 1987 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन में यह निदेश दिए गए थे कि केंद्रीय सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों तथा उनके संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों में, चाहे वे किसी भी क्षेत्र में स्थित हों, सभी सेवाकालीन विभागीय तथा पदोन्नति परीक्षाओं में, जिनमें अग्रिम भारतीय स्तर पर लो जाने वाली परीक्षाएँ भी सम्मिलित हैं, अभ्यार्थियों को इस बात की छूट दी जाए कि वे प्रश्न पत्रों के उत्तर हिंदी या अंग्रेजी में दे सकते हैं। ये भी कहा गया था कि इन परीक्षाओं में सभी प्रश्न पत्रों को हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में तैयार कराया जाए और जहां साक्षात्कार लिया जाना अपेक्षित हो वहां अभ्यार्थियों को पूछे गए प्रश्नों का हिंदी में उत्तर देने की छूट दी जाए। ये निदेश केंद्रीय सरकार के स्वामित्व में या नियंत्रणाधीन नियमों, उपक्रमों तथा बैंकों आदि पर भी लागू होते हैं।

2. 7 जनवरी, 1988 को आयोजित भारत सरकार के सचिवों के एक सेमिनार में इस विषय पर विचार हुआ और यह सिफारिश की गई कि जिन कोडों, मैनुअलों या दूसरी पुस्तकों आदि का प्रयोग विभागीय तथा पदोन्नति परीक्षाओं में किया जाता है उन सब का हिंदी अनुवाद एक वर्ष के अन्दर करवा लिया जाए ताकि जो कर्मचारी हिंदी माध्यम से इन परीक्षाओं में उत्तर देना चाहे उन्हें कठिनाई न हो।

3. जो कोड, मैनुअल आदि राजभाषा विभाग के केंद्रीय अनुवाद व्यूरो को अनुवाद के लिए भेजे गए हैं और उनका प्रयोग विभागीय या पदोन्नति परीक्षाओं में बैठने वाले कर्मचारियों द्वारा किया जाना है, उनके बारे में मुख्या केंद्रीय अनुवाद व्यूरो/विधायी विभाग के राजभाषा खंड को तुरन्त भेज दी जाए, ताकि उनका अनुवाद प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। ऐसे कोडों, मैनुअलों तथा अन्य प्रक्रिया संबंधी साहित्य को निम्न प्रकार प्राथमिकता दी जाएगा:-

- (1) जिनका प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए प्रयोग किया जाना है।
- (2) जिनका विभागीय परीक्षाओं में प्रयोग किया जाना है।
- (3) जिनके हिंदी अनुवाद उपलब्ध न होने के कारण विभागीय कार्य रुकता है।
- (4) जिनके हिंदी अनुवाद उपलब्ध न होने के कारण छपाई का काम रुका हुआ है।
- (5) जिनका संशोधन किया गया है किन्तु संशोधन का अनुवाद नहीं किया गया है।

केंद्रीय सरकार के सभी मंत्रालयों तथा विभागों में अनुरोध है कि वे अपने तथा अपने संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों और नियंत्रणाधीन कार्यालयों, नियमों, बैंकों आदि में लो जाने वाली विभागीय तथा पदोन्नति परीक्षाओं के लिए जिन कोडों, मैनुअलों या दूसरी पुस्तकों आदि का प्रयोग किया जाता है उनका हिंदी अनुवाद शीघ्र करवाने की व्यवस्था करें। उपलब्ध मैनुअल, कोड तथा अन्य प्रक्रिया संबंधी साहित्य की समीक्षा कर ली जाए और अनुवाद के लिए केंद्रीय अनुवाद व्यूरो को भिजवा दें। यदि किसी नए बनाए जा रहे या जो कि संशोधित किए जा रहे मैनुअल, कोड आदि को इकट्ठा अनुवाद के लिए भेजना संभव न हो तो ऐसी सामग्री चैप्टर बाइज भी भेजी जा सकती है। भेजी गई सामग्री का ऊपर बताए गए क्रम अनुसार प्राथमिकता के आधार पर व्यूरो द्वारा अनुवाद किया जाएगा।

4. यह अनुरोध है कि इस विषय में को गई कार्रवाई से राजभाषा विभाग को शोध अवगत कराया जाए।